

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

गोरखपुर दिनांक 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्यालयी कार्यालयित और इच्छिका, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विज्ञापित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 संख्यका से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठ्यक्रम/परीक्षा शक्तता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करत हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 90 संख्यक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु किम्बोडिया शर्तों के अधीन पठ्यक्रम एवं उपाधी अधिकतम शर्तों सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का शीर्षक एवं नाम : 3033-SHRI SATYA SAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, ASHARAM BAPU ROAD, ORAL JALAUN- 285001		परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता 50	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता 60
कौर्स	पठ्यक्रम का नाम	3033-SHRI SATYA SAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, ASHARAM BAPU ROAD, ORAL JALAUN- 285001	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1 DIPLOMA IN PHARMACY		50	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 3033-SHRI SATYA SAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, ASHARAM BAPU ROAD, ORAL JALAUN- 285001 को प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन-1982, संशुद्ध विनियमन-2016 तथा अन्य विनियमन नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन तर्फी इंजीनियरिंग/पठ्यक्रमों हेतु को 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो तर्फी कार्यालयी पठ्यक्रम हेतु को- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो तर्फी पठ्यक्रमों (दो तर्फी कार्यालयी पठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु को-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में नगर-संस्था पर शासन द्वारा विगत किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकाशित तर्फी, और अनुसार संशुद्धी किताब जमान आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की समीक्षा करें लागू होगी।
- ✓ संस्था को 3090 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता किया जायेगा, विनियमन-2003 को शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में प्रत्येक वर्ष परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को प्रत्येक-सत्र पर निर्णय आवासवेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 3033-SHRI SATYA SAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्रदान किया जायेगा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बतवाई गये विधि/विधियों/अधिनियम/सालानादेशों/निर्देशों एवं डिटेल्स, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बतवाई गयी विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विज्ञापित हुए कार्यालयी पठ्यक्रम की संस्थाएं यदि दो से अधिक नई दिल्ली के अनुमोदन प्राप्त करने से असमर्थ रहती है तो इन सत्र में सामान्य उपसहायित्व संस्था का होगा और विधिगत रूप से वेदों भी सम्बद्धता के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग संयुक्त प्रवेश शर्तों को कोई काठ धारण किया जाता है तथा द्वारक शर्त के लक्ष्य में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बनानी होगी।

